न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/72 **दायरा दिनांक : 05.06.2024**

उनवान

1. नवाब खान उम्र 52 वर्ष पुत्र शरफउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
2. अकील मोहम्मद उम्र 49 वर्ष पुत्र शरफउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
3. समीउद्दीन उम्र 36 वर्ष पुत्र शरफउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
4. हसीना बेगम उम्र 74 वर्ष पत्नी शरफउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
5. रश्मि पत्नी मिथुन, उम्र 29 वर्ष, जाति किराड, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. रोशनी बानो पुत्री फजल मोहम्मद उर्फ गुड्डू, उम्र 22 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी पोहरी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)
2. अजहर मोहम्मद पुत्र फजल मोहम्मद उर्फ गुड्डू, उम्र 19 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी पोहरी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)
3. अलीना बानो नाबालिग पुत्री फजल मोहम्मद उर्फ गुड्डू, उम्र 16 वर्ष, जर्ये वली पिता फजल मोहम्मद उर्फ गुड्डू पुत्र नजर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी पोहरी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री आलोक गोयल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 17.01.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 11/2023 निर्णय दिनांक 20.03.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद के खाता संख्या 708 में आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 11.03 बीघा कृषि भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादी रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रस्तुत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2024 से अपीलान्ट को ग्राम देवरी तहसील शाहबाद की खाता संख्या 708 में आराजी खसरा नं0 632 रकबा 11.03 बीघा के किसी भी भाग को वाद के अंतिम निर्णय तक विक्रय, दान, वसीयत अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करने व कोई निर्माण नहीं करने, मौके तथा रिकॉर्ड की स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि के प्रावधानों के विपरीत, न्याय के सामान्य सिद्धांत के विरूद्ध व पत्रावली में आये तथ्यों के भी विपरीत है। इसलिये उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने दावा इस आधार पर पेश किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम देवरी खसरा नं0 632 रकबा 11.03 बीघा में वादीगण/रेस्पोडेंट 1 ता 3 की माता रूबीना बेगम का 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादीगण अपीलान्ट 1 ता 4 भी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है। यह भूमि अपीलान्ट के नाना शरफउद्दीन के खाते थी। अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 शरफउद्दीन की संताने हैं तथा अपीलांट क्रम 4 शरफउद्दीन की बेवा है तथा वादीगण/रेस्पोडेंट की माता रूबीना बेगम शरफउद्दीन की लडकी है। अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 5 रश्मि किराड़ वाद में सद्भावी क्रेता है। नाना शरफउद्दीन की मृत्यु होने पर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट/वादीगण की माता रूबीना बेगम के खाते दर्ज हुई थी। रूबीना बेगम का 5 वर्ष से कहीं पता नहीं है वह गुम हो गई है। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण उक्त भूमि को विक्रय, रहन, निर्माण करने को आमादा है इसलिये उक्त स्थगन चाहा गया था। अपीलांट/प्रतिवादी की मुख्य आपत्ति यह है कि वादीगण/रेस्पोडेंट वादग्रस्त भूमि के खातेदार टेनेन्ट नहीं है। इसलिये वे दावा लाने के अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट को अपने शेयर को विक्रय या रहन हस्तांतरण करने, निर्माण करने से रोकने का वादीगण/रेस्पोडेंट कोई अधिकार नहीं है। रूबीना बेगम का 1/5 हिस्सा गलत खाते दर्ज किया है। खातेदारी घोषणा का दावा भी नहीं किया गया है। पक्षकारान मुस्लिम धर्म के हैं, इसलिये उनमें उत्तराधिकारी मुस्लिम विधि के अनुसार प्राप्त होगा, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा। पैत्रिक सम्पत्ति का अधिकार मुस्लिम विधि में प्राप्त नहीं होता है। मृत्यु होने पर ही उसके पुत्र–पुत्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। हिन्दुओं की तरह पैत्रिक सम्पत्ति में जन्म से अधिकार नहीं होता है। दावा में अंकित तथ्यों के अनुसार वादीगण/रेस्पोडेंट की माता रूबीना बेगम जीवित है। वह कहीं गुम हो गई है। इसलिये उत्तराधिकार जीवनकाल में वादीगण को विधि अनुसार प्राप्त नहीं होता है। धारा 107 साक्ष्य अधिनियम के तहत गायब हुये या मृत्यु हुये 30 वर्ष नहीं हुये हैं व धारा 108 साक्ष्य अधिनियम के तहत 7 वर्ष भी नहीं हुये हैं। इसलिये गायब होने के आधार पर भी वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादीगण ने खातेदारी घोषणा का दावा नहीं किया है। केवल धारा 53, 188, 92ए के तहत विभाजन व निषेधाज्ञा हेतु दावा किया है इसलिये जब तक वादीगण खातेदारी घोषणा का दावा नहीं करें व खातेदार घोषित नहीं हो जावे तब तक किसी तरह की निषेधाज्ञा प्राप्त करने व विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं। उन्हें धारा 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने हित को विक्रय, रहन करने का विधि के तहत पूर्ण हक प्राप्त है। वादीगण को रोकने का हक प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो तो उसकी ओर से आदेश 32 के तहत उसका संरक्षक बनाकर दावा करने का हक होता है। जिसके लिये आदेश 32 नियम 15 में दिये प्रावधानों की पालना करनी होती है वादीगण/रेस्पोडेंट ने खातेदार रूबीना बेगम की ओर से दावा नहीं किया है। इसलिये दावा खारिज होने योग्य है। वादीगण खातेदार नहीं है। उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का रूबीना बेगम के जीवन काल में अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वादीगण/रेस्पोडेंट का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रारम्भिक वाद बनना अधीनस्थ न्यायालय ने गलत माना है। वादीगण/रेस्पोडेंट को सुविधा का संतुलन प्राप्त होना व अपरिमित क्षति है भी गलत माना है। इसके विपरीत अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को अपरिमित क्षति हो रही है। वे अपने खाते व हिस्से की भूमि का उचित उपयोग व विक्रय रहने करने का जो उन्हें विधि के अनुसार हक प्राप्त है, समाप्त हो गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेंट वादी की माता रूबीना बेगम के हिस्से 1/5 भूमि है। अपीलांट वादीगण रेस्पोडेंट का मामा है विवादित आराजी रूबीना बेगम के पिता के खाते की थी। पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी रूबीना बेगम को प्राप्त हुई। रूबीना बेगम पांच साल से गायब हो गई है और प्रतिवादीगण भूमि को रहन, बेचान कर रहे हैं, अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी इसके विरूद्ध अपील प्रतिवादी अपीलांट ने की है। दावा चलने योग्य है या नहीं पक्षकार स्वयं रूबीना बेगम के गायब होने की बात करते हैं। मुस्लिम लॉ नियम 122 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि खातेदार की मृत्यु के बाद अधिकार प्राप्त होते हैं। नियम 121 स्वअर्जित सम्पत्ति और पैतृक सम्पत्ति में भेद नहीं । खातेदार जीवित है तो उसके जीवनकाल में उसके बेटों को दावा करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। दावा 183, 53 और 92ए में किया है खातेदारी की घोषणा के लिए कोई दावा नहीं किया। आदेश 32 नियम 15 में तहत परमिशन लेनी होती है यदि पक्षकार मानसिक रूप से अस्वस्थ्य है पर ऐसी परिमिशन नहीं ली गई, ऐसी स्थिति में दावा लाने का अधिकार नहीं है। वादी का प्रथम दृष्टया केस ही नहीं है दावा मेंन्टेनेबल नहीं है तो अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि हमारी माता के 1/5 हिस्से के लिए दावा किया था। धारा 88, 53, 183 व 92ए का दावा है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 हमारी माता मानसिक रूप से बीमार थी इलाज के लिए हमारे मामा ले गये वही से वह एक दिन अचानक गायब हो गई। दिनांक 11.06.2018 को अपीलांट के द्वारा ही थाना कस्बा में गुमशुदा की रिपोर्ट करवायी है। रूबीना का नाम 2022 में पिता की मृत्यु के बाद आया और गुमशुदगी 2018 की है। हमने हमारी माता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए दावा किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हम केवल दावा पेश करके ही हमारी माता के हितों की रक्षा कर सकते हैं। एन. एच. 27 पर भूमि है जिन्हें प्लॉट बनाकर बेचान कर रहे हैं। जवाब के विरूद्ध बहस में कथन किये जो विधि के बाध्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जाये।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि "विवादित आराजी खसरा संख्या 632 रकबा 11.03 बीघा ग्राम देवरी तहसील शाहाबाद में अपनी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मां रूबीना बेगम का हिस्सा 1/5 दर्ज होना बतलाते हुये कथन किया है कि रूबीना बेगम लापता है, जिसकी एम.पी.आर. दिनांक 11.06.2018 को थाना कस्बाथाना में दर्ज है, अप्रार्थीगण एन.एच. 76 के लगवां स्थित विवादित आराजी को विभाजन व संपरिवर्तन कराये बिना आवासीय विक्रय कर खुर्द बुर्द कर रहे हैं, जिससे उनकी मां की दर्ज हिस्सा आराजी 1/5 को भारी खतरा पैदा हो गया है। प्रार्थीगण रूबीना बेगम के वारिस उत्तराधिकारी हैं, इस कारण प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसके विरूद्ध अप्रार्थीगण का तर्क रहा है कि रूबीना बेगम कहीं लापता नहीं है, रूबीना बेगम को प्रार्थीगण ने ही अपने घर में छिपा रखा है, रूबीना बेगम ने अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थीगण को काश्त तथा विक्रय हेतु संभलायी है। प्रार्थीगण अपनी मां के हिस्से की भूमि को हडपना चाहते हैं, इसलिये रूबीना बेगम के लापता होने की झूठी कहानी गढी गई है। इसके अलावा अप्रार्थीगण विवादित भूमि के हिस्सेदार हैं, जिन्हें भूमि को विक्रय करने का अधिकार है।"

अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 20.03.2024 से अप्रार्थी अपीलांट को ग्राम देवरी तहसील शाहबाद की खाता सं. 708 की आराजी खसरा नं. 632 रकबा 11.03 हेक्टर के किसी भी भाग को वाद के अंतिम निर्णय तक विक्रय, दान, वसीयत अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करने व कोई निर्माण नहीं करने, मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है।

अप्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट को अपने शेयर को विक्रय, रहन, हस्तांतरण करने, निर्माण करने से रोकने का वादीगण/रेस्पोडेंट को अधिकार नहीं है। रूबीना बेगम का 1/5 हिस्सा खाते में गलत दर्ज है। पक्षकारान मुस्लिम धर्म के हैं। उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। वादीगण/रेस्पोडेंट की माता रूबीना बेगम जीवित है। वह कहीं गुम हो गई है। इसलिए वादीगण/रेस्पोडेंट को उत्तराधिकार रूबीना बेगम के जीवन काल में प्राप्त नहीं होते। धारा 107 साक्ष्य अधिनियम के तहत गायब हुये या मृत्यु हुये 30 वर्ष नहीं हुये हैं व धारा–108 साक्ष्य अधिनियम के तहत 7 वर्ष भी नहीं हुये हैं। इसलिये गायब होने के आधार पर भी वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है। उन्हें धारा 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने हिस्से को विक्रय, रहन करने का विधि के तहत पूर्ण हक प्राप्त है। वादीगण को रोकने का हक प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाए।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा सं0 632 रकबा 11.03 बीघा आराजी अप्रार्थी अपीलांट 1 ता 6 व प्रार्थी रेस्पोडेंट 1 ता 3 की माता रुबीना बेगम की सहखातेदारी में दर्ज है, जिसमें रूबीना बेगम का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। यदि मुस्लिम विधि के अनुसार रुबीना बेगम का हिस्सा गलत दर्ज हुआ है, जैसा कि अपीलांट का कथन है, तो इसका निर्धारण मूल वाद के निर्णय में होना है। इसी प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेंट को मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वाद लाने का अधिकार है या नहीं और उनको विवादित आराजी में हक अधिकार प्राप्त होंगे या नहीं, इन सभी प्रश्नों का निर्धारण भी मूल वाद के निर्णय में ही होगा। प्रार्थी रेस्पोडेंट 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीयक्षति इन तीनों बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 ता 3 की माता

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रूबीना के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/5 हिस्से को सुरक्षित रखने के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत है या नहीं इस बिन्दु को निर्णित किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रुबीना बेगम लापता है। रुबीना बेगम के लापता होने की एम. पी. आर. थाना कस्बाथाना में स्वयं अप्रार्थी अपीलांट क्रम 2 अकील अहमद ने दिनांक 11.06.2018 को दर्ज करवाई है। अप्रार्थी अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेंट 1 ता 3 सहखातेदार रुबीना बेगम के पुत्र पुत्री नहीं है। अप्रार्थी क्रम 2 ने विवादित आराज़ी में दर्ज अपने हिस्सा 1/5 में से एक भूखण्ड 30 गुणा 50 वर्गफुट दिनांक 29.05.2023 को अप्रार्थी कम 5 के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया है, जबकि विवादित आराजी सहखाते की कृषि भूमि है जिसमें विधि के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार का विभाजन से पूर्व प्रत्येक इंच भूमि पर समान रूप से कब्जा व अधिकार होता है और अपना हिस्सा निर्धारित कराये बिना कोई भी सहखातेदार अविभाजित आराजी के किसी भी भू–भाग को अपना बताते हुए बेचान नहीं कर सकता । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2023 की प्रतिलिपि से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा अप्रार्थी क्रम 5 के पक्ष में सहखाते की अविभाजित कृषि भूमि को विभाजन और संपरिवर्तन कराये बिना ही 30 गुणा 50 वर्गफुट भूखण्ड का बेचान कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता और इससे प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 के इस कथन की पुष्टि होती है कि अप्रार्थीगण सहखाते की भूमि को बिना विभाजन कराये खुर्द, बुर्द कर रहे हैं जिससे उनकी माता रुबीना बेगम के हित प्रभावित होगे। अप्रार्थी अपीलांट का यह कथन भी विधि विरुद्ध है कि अप्रार्थीगण का विवादित आराजी में हिस्सा निहित होने से उन्हें सहखाते की अविभाजित आराजी को विक्रय, रहन, हस्तांतरण करने, निर्माण करने से रोकने का प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 को कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 सहखातेदार रूबीना बेगम के पुत्र–पुत्री है। इस तथ्य का खण्डन अपीलांट द्वारा भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को विधि के विरुद्ध विक्रय करना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विक्रय पत्र की प्रतिलिपि से प्रथम दृष्ट्या साबित है, यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो सहखातेदार रुबीना बेगम के हितों को क्षति पहुंचने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सहखातेदार रूबीना बेगम वर्ष 2018 से लापता होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न एम. पी. आर. दिनांक 11.06.2018 से प्रथम दृष्ट्या साबित है। अतः रुबीना बेगम के हितों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा